मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

1. **योजना का नाम :–** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

2. **योजना का प्रारंभ :–** 01 अगस्त, 2014

3. **योजना का उद्देश्य :–** योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. **योजना का कियान्वयन :–** कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत योजना का कियान्वयन नाबार्ड द्वारा समय समय पर जारी लघु, कुटीर, अत्यन्त लघु और ग्रामोद्योगों की सूची में शमिल उद्योग के लिए हाथकरघा संचालनालय द्वारा, माटी शिल्प से संबधित उद्योग स्थापित करने के लिये मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा तथा अन्य कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अपने अमले एवं बजट से किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप विभागाध्यक्ष एवं बोर्डवार वित्त पोषित किये जाने वाले उद्योगों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है।

5. **पात्रता :–**

5.1 योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को दय होगा, जो मध्य प्रदेश सीमा के अंदर स्थापित हों)

5.2 आवेदक –

5.2.1. मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।

5.2.2. न्यूनतम 5 वीं कक्षा उर्त्तीण हो (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर)

5.2.3. आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।

5.2.4. आवेदक एवं उसका परिवार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

5.2.5. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर चुका हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

5.2.6. सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

5.2.7. आवेदक का परिवार पूर्व में ही उद्योग/व्यापार में स्थापित होकर आयकर दाता नही होना चाहिए।

5.3. योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

6. वित्तीय सहायता :–

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 50 हजार से अधिकतम रूपये 10 लाख तक होगी।

6.2 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता निम्नानुसार होगी :–

अ– सामान्य वर्ग हेतु – 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये एक लाख)

ब– बी०पी०एल० / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) / महिला / अल्पसंख्यक / निःशक्त जन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम रूपये दो लाख)

स– परियोजना के पूंजीगत लागत पर 30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 3.00 लाख) विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति को स्वप्रमाणीकरण के आधार पर पात्रता होगी। (विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजातियों को अर्थ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा पत्र क्र0 6209–25 (सामा.) आई के–63 दिनांक 21 / 09 / 63 में अधिसूचित अनुसार होगा।)

द– भोपाल गैस पीडित परिवारों के सदस्यों को योजना की अन्य पात्रताएं पूर्ण करने पर परियोजना के पूंजीगत लागत पर उपरोक्त के अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रू.1.00 लाख) की पात्रता होगी।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (अधिकतम रूपये 25 हजार प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रकिया :–

7.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन विभाग के संबधित घटक के जिल अधिकारी के कार्यालय में अथवा सीधे बैंक में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किये जायेगे। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होगे।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित किया जायेगा।

7.3 आवेदन द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सामान्य परियोजना प्रतिवेदन) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :-

8.1 प्राप्त आवेदन पत्र योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय विभागीय चयन एवं समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगे।

8.2 जिला स्तरीय विभागीय चयन एवं समीक्षा समिति निम्नानुसार गठित होगी :-

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (संबंधित जिला)	अध्यक्ष
2.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक / प्रतिनिधि	सदस्य
3.	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण / प्रतिनिधि	सदस्य
4.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के संबंधित घटक का जिला अधिकारी	सदस्य सचिव

टीप :- आवश्यक होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत किसी भी विभाग / संस्था / बैंक के अधिकारी / प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.3 विभागीय चयन/समीक्षा समिति की अनुशंसा उपरांत सभी प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंको को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 जिला स्तरीय चयन एवं समीक्षा समिति की बैठक माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयेजित की जावेगी, जिसमें नये प्रकरणों का चयन तथा स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

8.5 उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना(क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेस) के माध्यम से दी जावेगी। अतः बैक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security)की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.6 बैकों को रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार बैंक में प्रकरण प्राप्ति के 30दिवस के अंदर निराकरण किया जावेगा।

8.7 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अंदर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursem ent) प्रारंभ किया जावेगा।

8.8 योजना के सुचारू रूप से कियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला स्तरीय चयन एवं समीक्षा समिति के द्वारा की जावेगी।

9. **प्रशिक्षण :–**

9.1 योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात् उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन के द्वारा की जावेगी।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अंतर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10. **मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी :–**

10.1 सामान्य वर्ग के लिए – परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये एक लाख लाख) मार्जिनमनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से दय होगी तथा शेष देय मार्जिनमनी हितग्राही को स्वय जमा करनी होगी।

10.2 बी०पी०एल० / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) / महिला / अल्पसंख्यक / निःशक्तजन हेतु परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 2 लाख) देय होगी।

10.3 आरंभिक स्थगत (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.4 आरंभिक स्थगत (moratorium) के बाद ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षो के बीच होगी।

टीप :– स्थगत के संबंध में बैकों के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करें लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिए और बैकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक हो अर्थात 7 वर्ष तक हो।

11. **वित्तीय प्रवाह :–**

11.1 परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता का दावा ऋण स्वीकृति उपरांत बैंक द्वारा 15 दिवस की समय सीमा में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के संबंधित घटक के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। संबंधित घटक के जिला कार्यालय द्वारा 30 दिवस की समय सीमा में बैंक को मार्जिनमनी राशि उपलब्ध कराई जायेगी। ऋण वितरण के पश्चात् तथा इकाई स्थापना होने पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिनमनी राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

11.2 उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर व्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के जिला अधिकारी से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।